

सचिका स0-7/विविध-28-39/2023-24 - 153 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 16/07/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लारणपुर के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर, रू० 2,69,94,300/- (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख चौरानवे हजार तीन सौ) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 1,30,00,000/- (रुपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्राक-7821, दिनांक-15.12.2023 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लारणपुर के भवन निर्माण हेतु रू० 2,69,94,300/- (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख चौरानवे हजार तीन सौ) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या-577(7), दिनांक-01.03.2024 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- मुख्य महाप्रबधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्राक-2179, दिनांक-27.05.2025 के मांग के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लारणपुर के भवन निर्माण हेतु राशि रू० 2,69,94,300/- (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख चौरानवे हजार तीन सौ) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 1,30,00,000/- (रुपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3- उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश सं०-577(7), दिनांक-01.03.2024 के निहित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

4- यह राशि मांग सख्या-20 के अन्तर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0109-स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-20-4210020510109, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

6- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7- बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

8- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एव 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि०, दिनांक 24.03.2017, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017, 9470/वि०, दिनांक-20.10.2023 एव 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

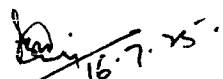
10- प्रस्ताव एव प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/विविध-28-39/2023-24 के पृष्ठ-... /टि० में प्राप्त है।

12- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

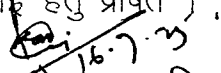
सरकार के अपर सचिव।

Alpna

ज्ञापांक:- 153 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक- 16/07/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
Alpna